

एस.एस. संधवालिया सी. जे., और एस.एस. दीवान, जे. के समक्ष

श्री गणेश ऑयल एंड राइस मिल्स और अन्य - याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, प्रतिवादी सिविल रिट संख्या 1925/1975

मार्च 20, 1979

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का 20) यथासंशोधित, हरियाणा सामान्य बिक्री कर (द्वितीय) संशोधन अधिनियम (1976 का 34) द्वारा - धारा 6, 16-ए और 24 संशोधन अधिनियम का पूर्वव्यापी संचालन

(5) आकाशवाणी. 1972 एस.सी. 121.

(6) 1977 पी.एल.आर. 718.

(7) 1979 शिमला लॉ जर्नल 21.

-क्या राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उल्लंघन है- उक्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन - चाहे 'छोटी मरम्मत' की प्रकृति में हो यह माना गया कि विधायिका अपने द्वारा पारित अधिनियम में किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी को दूर करने या उसमें अनजाने दोषों को ठीक करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, जो अधिनियम के कामकाज के दौरान उसके ध्यान में आ सकते हैं और ऐसा करें। पूर्वव्यापी रूप से और ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए संशोधन 'छोटी मरम्मत' की अवधारणा और दायरे के भीतर हैं। इसलिए, हरियाणा जनरल सेल्स द्वारा हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1973 की धारा 24 में पूर्वव्यापी रूप से संशोधन किए गए हैं। कर (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 1976 और उक्त अधिनियम में धारा 16ए के रूप में एक नया खंड शामिल करके मूल अधिनियम में खामियों को दूर करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। संशोधनों के लिए जिम्मेदार उद्देश्य और कारण स्पष्ट रूप से में दिखाते हैं अधिनियम के कामकाज में अनुभव की गई कुछ कमियों को दूर करने के लिए संशोधन आवश्यक हो गए हैं। इस प्रकार संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से किए गए संशोधन छोटी मरम्मत की प्रकृति में हैं, जो राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर हैं। (पैरा 9 , 11 और 12)

मामला 3 अगस्त 1917 को माननीय श्री न्यायमूर्ति ओ चिनहप्पा रेडिफाई और माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह की खंडपीठ द्वारा संदर्भित किया गया। मामले से जुड़े कानून के एक अहम सवाल पर फैसले के लिए पांच जजों की बेंच को भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान की खंडपीठ ने अंततः 20 मार्च, 1979 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित रिट याचिका में माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि कृपया इस पर। कृपा करें जारी करना—

(ए) एक नियम:

(बी) परमादेश की एक रिट जिसमें घोषणा की गई है कि कृषि उपज होने के कारण धान को अनुसूची 'बी' के तहत छूट प्राप्त है और वह खरीद कर के लिए उत्तरदायी नहीं है;

(सी) मेंडामस की एक रिट में अधिनियम की अनुसूची सी में धान को शामिल करने को भारत के संविधान के अधिकार के बाहर और अमान्य तथा निष्क्रिय घोषित किया गया है:

(डी) यह घोषणा करते हुए कि धान पर अधिनियम के तहत कोई खरीद कर नहीं लगाया जाएगा।

(ई) याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जाए: और,

(एफ) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे और जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को हकदार माना जा सकता है।

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. पी. साहनी एडवोकेट के साथ।

एस. सी. मोहंता, ए. जी., हरियाणा।

निर्णय

एस.एस. दीवान, जे.

- (1) यह निर्णय 1975 की चार रिट याचिकाओं संख्या 1925, 1967, 2162 और 2132 का निपटारा करेगा जो समान तथ्यों से बनी हैं और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।
 - (2) भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में माल की बिक्री और खरीद का व्यवसाय कर रहा है। उनमें से प्रत्येक एक पंजीकृत डीलर है और धान की खरीद करता है और उसे चावल में मिला देता है और इस प्रकार धान का अंतिम खरीदार है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे हरियाणा सामान्य बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (इसके बाद कहा जाएगा) द्वारा संशोधित हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत उनके द्वारा की गई धान की खरीद के संबंध में खरीद कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं थे। अधिनियम और संशोधित अधिनियम क्रमशः)। परिणामस्वरूप की गई प्रार्थना यह है कि संबंधित मूल्यांकन प्राधिकारियों को खरीद कर का आकलन करने की दृष्टि से कार्यवाही शुरू करने या आगे बढ़ने से रोकने का निर्देश दिया जाए।
 - (3) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, यहां अधिनियम और संशोधित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उचित लगता है।
 - (4) जो विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं है उसे छोड़ना, अधिनियम की धारा 6 करधान की घटनाओं के लिए प्रावधान इस प्रकार चलता है-
6. (1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक डीलर जिसका सकल कारोबार इस वर्ष के प्रारंभ होने के तुरंत बाद कर योग्य मात्रा से अधिक हो गया है, आने वाले वर्ष के बाद होने वाली सभी बिक्री और खरीद पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस अधिनियम के लागू होने पर:

श्री गणेश ऑयल एंड राइस मिल्स और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एस.एस. दीवान, जे.)

बशर्ते कि यह उपधारा ऐसे डीलर पर लागू नहीं होगी जो विशेष रूप से अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं का कारोबार करता है स्पष्टीकरण- उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजन के लिए “खरीद” का अर्थ घोषित वस्तुओं की खरीद होगा, अनुसूची सी में निर्दिष्ट सामान और धारा 9 के तहत आने वाले सामान।”

अधिनियम में संलग्न अनुसूची सी में धान को खरीद कर लगाने के अधीन माल की एक वस्तु के रूप में शामिल किया गया है। इसके लेवी का चरण तब अनिश्चित छोड़ दिया गया था।

अधिनियम की धारा 24 एक पंजीकृत व्यापारी के अधिकारों से संबंधित है। अनुभाग का उपखंड (i) पढ़ता है:-

24. इस अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक डीलर, कर के भुगतान के बिना, राज्य के भीतर निम्नलिखित सामान खरीदने का हकदार होगा, अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अधिकार पर उस डीलर को, जिससे सामान खरीदा गया है, एक घोषणा पत्र देकर, ऐसे प्राधिकारी से प्राप्त एसवीटीपीएच फॉर्म पर, जो निर्धारित किया जा सकता है, विधिवत भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे विवरणों से युक्त, और यदि ऐसा फॉर्म ऐसे प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, तो इस तरह से हमें निर्धारित किया जा सकता है।

(ए) राज्य में पुनर्विक्रय, या”

संशोधित अधिनियम की धारा 2 द्वारा, अधिनियम में एक नई धारा 16ए जोड़ी गई जो इन शर्तों में है: -

-16 ए. अनुसूची सी में निर्दिष्ट वस्तुओं पर कर। अनुसूची सी में निर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में कर उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट चरण में उसकी खरीद पर लगाया जाएगा और देय होगा।”

(5) संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा पशु चिकित्सक की धारा 24 में आने वाले शब्दों “कर के भुगतान के साथ” के स्थान पर “बिना बिक्री कर के भुगतान के” शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(6) उसी अधिनियम की धारा 5 द्वारा, अधिनियम की अनुसूची सी को प्रतिस्थापित किया गया था। संशोधन से पहले माल को वैसे ही बरकरार रखते हुए, प्रतिस्थापित अनुसूची में उन पर खरीद कर लगाने के चरण का संकेत दिया गया था, जहां तक धान की खरीद का संबंध था, एक डीलर द्वारा राज्य के भीतर आखिरी खरीद थी।

(7) धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा, संशोधित अधिनियम की धारा 2, 3 और 5 को 5 मई, 1973 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया, वह तारीख जब अधिनियम लागू हुआ था

(8) किए गए संशोधनों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए धान पर खरीद कर के भुगतान के दायित्व के लिए किसी भी संदेह से परे उजागर किया गया था और अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य विधानमंडल अधिनियम में उस तरीके और सीमा तक संशोधन करने में सक्षम नहीं है, जिससे याचिकाकर्ताओं पर उनके द्वारा खरीदे गए धान पर खरीद कर के दायित्व का बोझ डाला जा सके। संशोधन की तारीख से पहले की अवधि. विस्तार से बताते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति उसमें "छोटी मरम्मत" करने से आगे नहीं बढ़ सकती है और अधिनियम में किए गए संशोधन ऐसी सीमाओं से कहीं अधिक हैं। तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने कृष्णमूर्ति एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य और अन्य (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

(10) विवाद की योग्यता का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों को शीघ्र बताना आवश्यक प्रतीत होता है। मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 47 के अनुसार, "चिकनाई वाले तेल, सभी प्रकार के खनिज तेल (अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं किए गए), शमन तेल और ग्रीस" की बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी। . इस धारणा के तहत कि प्रविष्टि में "भट्ठी का तेल" शामिल है, राज्य के अधिकारी इसकी बिक्री पर कर लगाने के लिए आगे बढ़े। इसे निर्धारिती द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उस प्रविष्टि को बरकरार रखते हुए चुनौती को बरकरार रखा। अनुसूची में 47 को "फर्नेस ऑयल" को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सका। इसके बाद राज्य विधानमंडल ने प्रविष्टि में संशोधन किया ताकि इसे विभाजित किया जा सके और "फर्नेस ऑयल" को शामिल करने के लिए एक नई प्रविष्टि 47ए पेश की गई और इसे दिया गया। सामान्य सत्यापन अनुभाग द्वारा धनवापसी के विरुद्ध पिछली सुरक्षा संशोधन पूर्वव्यापी कार्रवाई और किए गए कर के संग्रह को वहन किया गया।

(1) 31 बिक्री कर प्रकरण 190.

इस प्रकार किए गए संशोधनों पर एक रिट याचिका द्वारा सवाल उठाया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में, सुप्रीम कोर्ट में संशोधनों पर दोहरा हमला किया गया, उनमें से एक संशोधन अधिनियम पर हमारे सामने किए गए हमले के समान था और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के उल्लंघन पर आधारित था। तर्क यह है कि संशोधन के पूर्वव्यापी संचालन ने अपीलकर्ता के व्यापार और व्यवसाय में शामिल होने के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दलीलें खारिज कर दीं। संशोधनों में अंतर्निहित वस्तुओं और कारणों का उल्लेख करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के पृष्ठ 197 पर इन टिप्पणियों के साथ पूर्वव्यापी संशोधन करने की विधायिका की क्षमता के खिलाफ विवाद को खारिज कर दिया-

“इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित अधिनियम का उद्देश्य उच्च न्यायालय के फैसले से पता चली कमजोरी को ठीक करना और फ्रयूरेस तेल सहित सभी प्रकार के गैर-चिकनाई वाले खनिज तेलों के संबंध में कर के पिछले लेवी और संग्रह को मान्य करना था। 1 अप्रैल 1964 से प्रभावी। इस उद्देश्य के लिए विधायिका ने मूल प्रविष्टि 47 को दो प्रविष्टियों में विभाजित किया। 47 और 47-ए। नई प्रविष्टि 47 चिकनाई वाले तेल (अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं की गई), शमन तेल और ग्रीस से संबंधित है, जबकि प्रविष्टि 47-ए में वित्त तेल सहित सभी प्रकार के खनिज तेल (मद 47 के अंतर्गत आने वाले और अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं किए गए) को शामिल किया गया है। हमारी राय में, प्रविष्टि 47-ए द्वारा लगाया गया कर नया नहीं था कर। ऐसा लगता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कि विधानमंडल ने 1964 के अधिनियम 7 द्वारा प्रविष्टि 47 में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप गैर-स्नेहक सहित सभी प्रकार के खनिज तेलों की बिक्री पर उल्लिखित दर पर कर लगाने का इरादा किया था। उस प्रविष्टि में। चूंकि उस प्रविष्टि में विधायिका द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को उच्च न्यायालय ने गैर-स्नेहक खनिज तेलों की बिक्री पर कर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया था, इसलिए दोष को सुधारने और दूर करने के लिए विधायिका द्वारा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई भाषा में, ताकि गैर-स्नेहक खनिज तेलों की बिक्री पर कर 1 अप्रैल 1964 से प्रविष्टि 47 में निर्दिष्ट दर पर लगाया जा सके जब 1964 का अधिनियम 7 लागू हुआ। यह स्वयंसिद्ध है कि सरकार को प्रशासन चलाने और नागरिकों के प्रति दायित्व पूर्ति के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य के लिए यह कराधान का सहारा लेता है। आवश्यक कुल राशि को विभिन्न मदों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। उस संबंध में कानून की किताब में लाए गए राजकोषीय अधिनियम हैं। कभी-कभी करदाता द्वारा इसे अदालतों में चुनौती दी जाती है। न्यायालय फिर कर लगाने का निर्णय लेने के लिए कानूनी प्रावधान की जांच करें यह कानूनी रूप से वैध है या किसी दुर्बलता से ग्रस्त है। मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कर लगाना कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए अधिनियमित प्रावधान पदावली में किसी दोष

या अन्य दुर्बलता के कारण लगाया गया कर लगाने की गारंटी नहीं देता है। विधायिका अक्सर एक संशोधन और वैध अधिनियम पर विचार करती है। ऐसे अधिनियम का उद्देश्य वाक्यांशविज्ञान या अन्य प्रकृति की खामियों को दूर करना और सुधारना है और कर की वसूली सहित कार्यवाही को वैध बनाना है, जो इसके अनुसरण में हुई है। पहले का अधिनियम जिसे न्यायालय ने एक दुर्बलता के कारण दूषित पाया है। चीजों की प्रकृति में इस तरह के संशोधन और वैधीकरण अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव होता है। इसका उद्देश्य उस उद्देश्य को क्रियान्वित करना और कार्यान्वित करना है जिसके लिए पिछला प्रमुख अधिनियम अधिनियमित किया गया था। “छोटी मरम्मत” करने के लिए इस तरह का संशोधन और वैधीकरण अधिनियम कानून का एक स्वीकार्य तरीका है और इसे अक्सर राजकोषीय अधिनियमों में बहाल किया जाता है। जैसा कि 73 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 692 में पृष्ठ 705 पर देखा गया है:-

“यह आवश्यक है कि विधायिका कानूनों या उनके प्रशासन में अनजाने दोषों को ठीक करने में सक्षम हो, जिसे ‘छोटी मरम्मत’ कहा जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दावा करता है कि दोष से निहित अधिकार उत्पन्न हुआ है, वह अप्रत्याशित लाभ की तलाश कर रहा है। विधायिका या प्रशासक की कार्रवाई का वैसा प्रभाव होता जैसा उसका इरादा था और हो सकता था, ऐसा कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, सरकार के प्रशासन में इस तरह के दोष के पूर्वव्यापी इलाज में रुचि दोष से लाभ उठाने में व्यक्ति की रुचि से अधिक है . न्यायालय पूर्वव्यापी कराधान की आवश्यकता के विधायी फैसले को पलटने में बेहद अनिच्छुक रहा है, न केवल पर्याप्त राजस्व प्राप्त करने में सर्वोपरि सरकारी हित के कारण, बल्कि जुर्माना या एक संविदात्मक दायित्व करों की प्रकृति में नहीं होने के कारण भी, बल्कि यह उन लोगों के बीच सरकार की लागत को विभाजित करने का एक साधन है जो इससे लाभान्वित होते हैं।

शहरी भूमि कर के सहायक आयुक्त बनाम बकिंघम और कर्नाटक कंपनी लिमिटेड के मामले में उपरोक्त मार्ग को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

(11) इन टिप्पणियों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका किसी भी कमजोरी या कमी को दूर करने या उसमें अनजाने दोषों को ठीक करने की दृष्टि से अपने द्वारा पारित अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, जो कामकाज के दौरान उसके ध्यान में आ सकता है। अधिनियम का और ऐसा पूर्वव्यापी रूप से करें और संशोधन करें

ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य "छोटी मरम्मत" कहलाने वाली अवधारणा और दायरे के भीतर हैं ऊपर दिए गए विवादित संशोधनों द्वारा, हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम में कमियों को दूर करने के अलावा और कुछ नहीं किया। यह संशोधनों के लिए उत्तरदायी उद्देश्यों एवं कारणों तथा वित्तीय से स्पष्ट है कि विधेयक के साथ संलग्न जापन को "हरियाणा सामान्य बिक्री कर (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1976" कहा गया जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

वस्तुओं और कारणों का विवरण अधिनियम के कामकाज में व्यापारिक समुदाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयाँ और कुछ कमियों को दूर रखने और कुछ को दूर करने के लिए संशोधन और प्रावधान आवश्यक हो गए हैं।

वित्तीय जापन

इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के प्रशासन में अनुभव की जा रही कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए, एक नई धारा 16-ए जोड़ी जा रही है और धारा 24, 37(4) और अनुसूची 'सी' में संशोधन किया जा रहा है। का एक्ट बनाया जा रहा है। इसकी संभावना नहीं है की राज्य के राजस्व पर पड़ेगा असर कर निर्धारण/संग्रह का कार्य उसी स्टॉल द्वारा किया जाएगा जो पहले से ही इस उद्देश्य के लिए नियोजित किया गया है।"

(1) (1970)1 एस सी.आर. 268 (ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 169)।

(13) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और मानते हैं कि लगाए गए संशोधन इस आधार पर अस्वीकार्य नहीं हैं कि हरियाणा विधानमंडल उन्हें या पूर्वव्यापी बनाने में सक्षम नहीं था। संशोधनों को संचालन नहीं दिया जा सका।

(14) विद्वान वकील द्वारा अगली दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदा गया धान एक कृषि उपज है, जिसे अधिनियम की अनुसूची बी की प्रविष्टि 25 के आधार पर खरीद कर के भुगतान से छूट दी गई है। यह विवाद निराधार है और स्पष्ट रूप से गलत धारणा वाला है। उक्त प्रविष्टि इस प्रकार है-

25. कृषि या बागवानी जब किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा बेची गई उपज में, उसके परिवार का सदस्य जो स्वयं द्वारा उगाया गया हो या किसी भी भूमि पर उगाया गया हो जिसमें उसका हित हो, चाहे मालिक के रूप में या सूदखोर गिरवीदार, अन्यथा के किरायेदार के रूप में।

(15) इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि धान एक कृषि उपज है। लेकिन इसकी स्पष्ट भाषा में, प्रविष्टि का उद्देश्य उस व्यक्ति को बिक्री कर के संबंध में छूट देना है जो धान उगाता है और उसे बेचता है। याचिकाकर्ता धान नहीं उगाते। वे इसे खरीदते हैं। उनके द्वारा की गई खरीदारी पर खरीद कर लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

(16) परिणामस्वरूप, सभी याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-में सहमत हूँ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर
प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा